

# कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 23 सितम्बर, 2009

सं. फा. 10 (834)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7497.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सेमटेल हाल डिस्पले सिस्टमस लि., छठी मंजिल, 7, टीडीआई सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जसोला, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1001 से 5000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 400 (रुपये चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

## OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

### ORDERS

Delhi, the 23rd September, 2009

No. F. 10(834)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7497.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Samtel Hal Display Systems Limited, 6th Floor, 7, TDI Centre, District Centre Jasola, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 400 (Rs. Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1001 to 5000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (846)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7498.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री स्नेप डेगन एमिनिटिज प्रा.लि., 9, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,29,99,970 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6,01,839 से 9,30,409 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 23,000 (रुपये तेइस हजार केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(846)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7498.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Snap Dragon Amenities (P.) Ltd., 9, Nizamuddin East, New Delhi-110013 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 23,000 (Rs. Twenty Three Thousand only) on the aggregate value of shares of Rs. 2,29,99,970 for equity share certificates with distinctive Nos. 6,01,839 to 9,30,409 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (830)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7499.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जीडीडी एक्सपोर्ट इंडिया प्रा.लि. फ्लैट नं. 401, धाका हाउस, 18/17, डब्ल्यू. ई.ए. करोलबाग, नई दिल्ली-110005, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,37,250 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 98,454 से 1,22,178 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 238 (रुपये दो सौ अड़तीस केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(830)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7499.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. GDD Exports India (P.) Ltd., Flat No. 401, Dakha House, 18/17, W. E.A. Karolbagh, New Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 238 (Rs. Two Hundred Thirty Eight only) on the aggregate value of shares of Rs. 2,37,250 for equity share certificates with distinctive Nos. 98,454 to 1,22,178 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (791)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7471.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क

अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पेटन कम्यूनिकेशन सोल्यूशंस प्रा.लि., 18, कोटला लेन, (एलजीएफ) राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,23,75,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 55,80,351 से 68,17,850 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 12,375 (रुपये बारह हजार तीन सौ पछहत्तर केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(791)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7471.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Petan Communication Solutions Private Limited, 18, Kotla Lane (LGF), Rouse Avenue, New Delhi- 110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12,375 (Rs. Twelve Thousand Three Hundred Seventy Five only) on the aggregate value of shares of Rs. 1,23,75,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 55,80,351 to 68,17,850 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (814)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7483.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ऐशिया पेसिफिक ब्रिवरिज-पर्ल प्रा.लि. के/ओ. जे. सागर एसोसिएट, 84-ई, सी-6, लेन (ऑफिस सेन्ट्रल एवेन्यू), सैनिक फार्म, नई दिल्ली 110062 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 23,44,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 205,00,001 से 439,40,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,34,400 (रुपये दो लाख चौतीस हजार चार सौ केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**No. F. 10(814)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7483.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Asia Pacific Breweries - Pearl Private Limited, C/o J. Sagar Associates, 84-E, C-6, Lane (Off Central Avenue), Sainik Farms, New Delhi-110 062 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,34,400 (Rs. Two Lac Thirty Four Thousand Four Hundred only) on the aggregate value of shares of Rs. 23,44,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 205,00,001 to 439,40,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 ( 858 )/मु. स. ( मुख्य. )/स.शु./08/7496.-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एन सी एस पियरसन इंडिया प्रा.लि., चौदहवीं मंजिल, 18 रामनाथ हाऊस, यूसूफ सराय, कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,07,49,997 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1911 से 4391 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 50,750 (रुपये पचास हजार सात सौ पचास केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य राजस्व  
नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,  
विनय कुमार, संयुक्त सचिव

No. F. 10 (858)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7496.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. NCS Pearson India Private Limited, 14th Floor, 18, Ramnath House, Yusuf Sarai, Community Centre, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,750 (Rs. Fifty Thousand Seven Hundred Fifty only) on the aggregate value of shares of Rs. 5,07,49,997 for equity share certificates with distinctive Nos. 1911 to 4391 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority  
Government of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy.